

Name of the project :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अलालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कन्डीसौड।

पत्रांक-

दिनांक-

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थौलधार।

उपखण्ड कण्डीसौड परिक्षेत्र के अन्तर्गत लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण I (3.175 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.330 हे० नाप भूमि, अर्थात् कुल 3.175 हे० वन भूमि) का **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कण्डीसौड) की दिनांक **22.06.20** को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| 1- | श्री उपजिलाधिकारी टिहरी | -अध्यक्ष | उप प्रभागीय वनाधिकारी | |
| 2- | श्री. रमेश चन्द्र टण्डन | | उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी | -सदस्य |
| 3- | श्री. मुरारि चन्द्र कुंभार | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | थौलधार | -सदस्य |
| 4- | श्री. जगदीश चन्द्र कोहल | बी०डी०सी० क्षेत्र मंजखेत | थौलधार | -सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कण्डीसौड परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.175 हे० वन भूमि **लोक निर्माण विभाग चम्बा** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल।

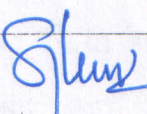
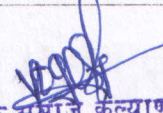
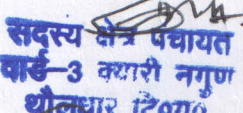
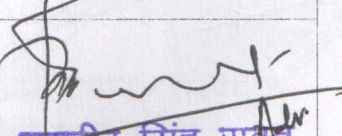
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल।
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चम्बा/कण्डीसौड

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, चम्बा।

आज दिनांक 22.06.2020 को विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र धनोली के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 3.175 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी टिहरी की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री <u>फिचाएम चौधरी</u>	उप जिलाधिकारी, कण्डीसौड टिहरी	 उप जिलाधिकारी टिहरी टिहरी गढ़वाल।
2	श्री <u>रमेश-चन्द्र खण्डूरी</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी	 उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीचौरी उप वन प्रभाग
3	श्री <u>भोगेश कुमार</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, थौलधार।	 सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड थौलधार जिला-टिहरी गढ़वाल
4	श्री <u>गोपाल चमोली</u>	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सदस्य	 सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड-3 क्यारी नगुण थौलधार टिहरी
5	श्री <u>जयवीर सिंह रावत</u>	सदस्य जिला पंचायत <u>थौलधार</u> टिहरी गढ़वाल।	 जयवीर सिंह रावत एडवोकेट सदस्य, जिला पंचायत बन्स्यूल थौलधार, (टिहरी गढ़वाल)

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

(74)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मंजखेत
तहसील कन्डीसौड, जिला टिहरी गढ़वाल

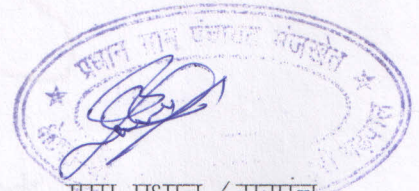
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। परियोजना के निर्माण हेतु 3.175 आरक्षित वन भूमि एवं राजस्व भूमि अर्थात् कुल 3.175 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मंजखेत द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत मंजखेत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम प्रधान / सरपंच

मुहर सहित

मंजखेत
वन पंचायत मंजखेत
वे0ख0-थौलधार (टि0ग0)